ऑन लाईन नं. RCMS 2023/13

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 03/2023

1. पृथ्वी राज पुत्र श्री देवाराम जाति जाट, निवासी चक 14–एस.पी.एम. गोधूवाली ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौ0 चेतरामवाला (15–एस.पी.एम.) पंचायत समिति सादलशहर जिला जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत चौ0 चेतरामवाला (15 एस.पी.एम.) तहसील सादुलशहर श्रीगंगानगर ।
2. सुखराम पुत्र श्री राजाराम जाति जाट निवासी चक 14 एस.पी.एम. गोधूवाली ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व नोटिस कमांक 06 दिनांकित 11.01.2023 जो कि निगरानीकर्ता के भूखण्ड संख्या बी–28 व बी–29 के सम्बन्ध में गलत तौर पर , विधि विरूद्व, निगरानीकर्ता को बिना सुने , एकतरफा ही जारी किया गया है, को निरस्त करवाने हेतु।

उपस्थित :

1. श्री राजवीर सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री सीताराम सुथार अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता–2

:: आदेश ::

दिनांक :– 08.08.2024

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का भूखण्ड संख्या बी–28 व बी–29 का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.05.1988 को जारी किया गया। उक्त भूखण्डों पर प्रार्थी कालान्तर से काबिज चला आ रहा है। उक्त पट्टा को ग्राम पंचायत चौ0 चेतरामवाला द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 5 के माध्यम से दिनांक 20.07.2021 को नवीनीकरण किया गया, उसके उपरान्त प्रार्थी /निगरानीकर्ता द्वारा अपने उक्त पट्टा को विधिनुसार उप–पंजीयक , लालगढजाटान के कार्यालय से पंजीकृत भी करवाया गया। निगरानीकर्ता के उक्त भूखण्डो के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को बिना सुने, विधिविरूद्व जाकर नोटिस कमांक 06 दिनांक 11.01.2023 जारी किया गया है जिसके विरूद्व वर्तमान निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. यह कि नोटिस 06 दिनांकित 11.01.2023 विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। नोटिस कमांक 06 की प्रतिलिपि सलंग्न निगरानी है।
2. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.05.1988 को प्रार्थी को जारी पट्टा की पुश्त पर भूखण्ड संख्या बी–28 व बी–29 का नक्शा अंकित किया हुआ है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

जिसके अनुसार भूखण्ड संख्या बी–28 का साईज 60X75 व भूखण्ड संख्या बी–29 का साईज 60X75 है। इस प्रकार दोनों भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल पूर्व में 60 फुट , पश्चिम में 60 फुट औसत 60 फुट , उत्तर में 150 फुट, दक्षिण में 150 फुट , औसत 150 फुट कुल क्षेत्रफल 9000 वर्गफुट का जारी किया गया। प्रार्थी कालान्तर से ही अपने उक्त भूखण्डों की सीमाओं के अन्दर मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। इन समस्त तथ्यों की जानकारी अप्रार्थीगण को बखूबी रही, परन्तु इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर उक्त नोटिस विधि विरूद्ध , प्रार्थी को बिना सुने एवं बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये जारी किया गया है। इसी आधार पर उक्त नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि प्रार्थी के उक्त भूखण्डो की पूर्व दिशा में गली आम है। प्रार्थी के भूखण्डो की सीमाओं के अन्दर ही प्रार्थी ने निर्माण कार्य किया हुआ है। गली आदि पर किसी तरह का भी कब्जा नहीं है। वास्तव में गली की पूर्व दिशा के भूखण्ड मालिक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा गली पर नाजायज कब्जा करके अपने भूखण्ड को लम्बा/चौडा कर लिया गया है यदि वास्तविक रूप से मौका पर पैमाईश की जावें तो अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा अपने भूखण्ड से अधिक जगह पर है। मौके के इन महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लिये बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त नोटिस जारी किया गया है जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि प्रार्थी को भूखण्ड बी–28 व बी–29 की कुल पैमाइश 9000 वर्गफुट का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है जो कि बाद में दिनांक 20.07.2021 को नवीनीकरण भी किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज है व इन भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 9000 वर्गफुट है, इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नोटिस जारी करना विधि विरूद्ध है। इसी आधार पर उक्त नोटिस निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दोनों भूखण्डों के पट्टा को नवीनीकरण किये जाने से पूर्व उक्त भूखण्डो के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या 5 पारित किया गया जिसके सम्बन्ध में किसी को भी आपत्ति नहीं होने पर ही उक्त भूखण्डो के पट्टा को नवीनकृत किया गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड अनुसार ही प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है जिसमें किसी भी तरह का अवैध निर्माण/अतिक्रमण नहीं किया गया। उक्त समस्त तथ्य ग्राम पंचायत के ज्ञान में होने के बावजूद उक्त नोटिस जारी किया गया है जो कि प्रारम्भ से ही अवैध एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि प्रार्थी को उक्त भूखण्डों के सम्बन्ध में जारी पट्टा आज तक प्रभावी है जिसका इन्द्राज पंचायत रिकॉर्ड में भी हुआ है। पट्टा में वर्णित भूखण्डो के साईज को कम या अधिक किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा अपने ही

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

कार्यालय के रिकॉर्ड के विरूद्ध जाकर , अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर नोटिस कमांक 06 जारी कर दिया। इसी आधार पर नोटिस कमांक 06 निरस्त किये जाने योग्य है।

7. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा तथाकथित नोटिस कमांक 06 जारी करने से पूर्व किसी कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, न ही किसी प्रकार से कभी कोई आपत्ति सूचना का प्रकाशन आमजन हेतु दैनिक समाचार पत्र में करवाया गया, इसके अतिरिक्त तथाकथित नोटिस जारी करने से पूर्व न तो कोई कमेटी गठित की गई और न ही मौका पर कब्जा की जांच करवाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही राजनैतिक दबाव के चलते एंव अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर चुपचाप अपने कार्यालय में बैठकर की गई है। इसी आधार पर नोटिस कमांक 06 निरस्त किये जाने योग्य है।

8. यह कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रभावित पक्षकार को बिना सुने , एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की जा सकती। भूखण्ड संख्या बी–28 व बी–29 के सम्बन्ध में कोई भी नोटिस जारी करने से पूर्व प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक था, क्योकि भूखण्ड संख्या बी–28 व बी–29 पर प्रार्थी का कब्जा कालान्तर से चला आ रहा है जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.05.1988 को प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। इसी आधार पर नोटिस कमांक 06 निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यह कि निगरानी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो कि उचित न्याय शुल्क पर, अन्दर मियाद प्रस्तुत है

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर नोटिस कमांक 06 दिनांकि 11.01.2023 को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :–

1. यह कि उपरोक्त पत्रावली में ग्राम पंचायत के नोटिस कमांक 06 दिनांक 11.01.2023 को चुनौती दी गई है जबकि ग्रांम पंचायत ने प्रस्ताव पसास करके अतिक्रमण कर्ता –निगरानीकर्ता को नोटिस जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने अपनी शाक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिक्रमण को हटाने के लिये नोटिस जारी किया है इसलिये नोटिस के विरूद्ध निगरानी पोषनीय नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह कि निगरानीकर्ता ने ऐसी कोई साक्ष्य या प्रमाण पेश नहीं किया है कि उसके द्वारा आम खडवंजा सड़क पूर्व में व उत्तर दिशा में 30 फुट सड़क पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। साक्ष्य के अभाव में निगरानीदार की बात की सत्यता स्वयं ही मिथ्या साबित हो जाती है। प्रकरण प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।
3. यह कि निगरानीदार द्वारा सिविल न्यायाधीश सादुलशहर द्वारा पारित आदेश की प्रति पेश की है। निगरानीदार स्वयं ही अनुतोष के लिये दो विभिन्न

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालयो में कार्यवाही नही कर सकता, इसलिये भी वर्तमान निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

अतःलिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीदार की निगरानी पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता को भूखण्ड संख्या बी–28 व बी–29 का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.05.1988 को जारी किया गया। उक्त विवादित भूखण्डो पर निगरानीकर्ता कालान्तर से काबिज चला आ रहा है। निगरानीधीन पट्टा को ग्राम पंचायत चौ0 चेतरामवाला द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 5 के माध्यम से दिनांक 20.07.2021 को नवीनीकरण किया गया, उसके उपरान्त प्रार्थी /निगरानीकर्ता द्वारा अपने उक्त पट्टा को विधिनुसार उप–पंजीयक , लालगढजाटान के कार्यालय से पंजीकृत भी करवाया हुआ है। दिनांक 20.07.2021 को ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टों को नवीनीकरण किया गया है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में करवाया हुआ है। इन समस्त तथ्यों की जानकारी अप्रार्थीगण/गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को बखूबी होने के बावजूद गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के प्रभाव में आकर उक्त नोटिस विधि विरूद्ध , प्रार्थी को बिना सुने एवं बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये जारी किया गया है। निगरानीकर्ता के उक्त भूखण्ड़ो की पूर्व दिशा में गली आम है। प्रार्थी के द्वारा भूखण्डो की सीमाओं के अन्दर ही निर्माण कार्य किया हुआ है। गली आदि पर किसी तरह का भी कब्जा नहीं है। वास्तव में गली की पूर्व दिशा के भूखण्ड मालिक गैरानिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा गली पर नाजायज कब्जा करके अपने भूखण्ड को लम्बा/चौडा किया गया है यदि वास्तविक रूप से मौका पर पैमाईश की जावें तो गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 का कब्जा अपने भूखण्ड से अधिक जगह पर होना पाया जावेगा। उक्त विवादित पट्टा के सम्बन्ध में मेरे द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश सादुलशहर में दिवानी प्रकरण संख्या 10/2023 पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 17.08.2023 को हो चुका है जिसके अनुसार प्रतिवादी वादी को उसके पट्टा शुदा दोनों प्लाट बी–28 व बी–29 से जबरन बेदखल करने एवं दोनों अहातों के बीच में गली निकालने , चालू करने से निषेधित रहें पारित किया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ग्राम पंचायत चौ0 चेतरामवाला पंचायत समिति सादुलशहर द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 06 दिनांकि 11.01.2023 को निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि पाया कि निगरानीकर्ता को भूखण्ड संख्या बी–28 व बी–29 का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.05.1988 को आवंटित किये गये है। निगरानीधीन पट्टा को ग्राम पंचायत चौ0 चेतरामवाला द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 5 के माध्यम से दिनांक 20.07.2021 को नवीनीकरण भी किया गया। नवीनीकरण उपरान्त निगरानीकर्ता द्वारा उक्त विवादित पट्टा को विधिनुसार उप–पंजीयक , लालगढजाटान से पंजीकृत भी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

करवाया गया है,। ग्राम पंचायत चौ0 वेतरामवाला पंचायत समिति सादुलशहर द्वारा दिनांक 20.07.2021 को उक्त विवादित पट्टों का नवीनीकरण किया गया है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में होना भी पाया जाता है क्योंकि निगरानीधीन पट्टा की पुष्त पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चौ0 वेतरामवाला व सरपंच ग्राम पंचायत चौ0 वेतरामवाला के मोहर शुद्धा हस्ताक्षर है। इन समस्त तथ्यों की जानकारी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को बखूबी होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वह विधि विरूद्ध एवं बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये जारी किया गया है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 06 दिनांक 11.01.2023 निरस्त किया जाता है एवं ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि अगर निगरानीकर्ता को जारी पट्टो से अधिक भूमि पर निगरानीकर्ता का किसी प्रकार से अतिक्रमण पाया जाता है एवं अन्य किसी का भी अतिक्रमण पाया जाता है तो पंच कमेटी गठित कर एवं निगरानीकर्ता व अन्य को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर अतिक्रमण युक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जावें। आदेश की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत चौ. वेतरामवाला पंचायत समिति सादुलशहर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 08.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
(प्रशासन), श्रीगंगानगर